

कार्यालय जिला पंचायत नारायणपुर
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (छ0ग0)

Email – zpapo_nrega / yahoo.com, Zp-narayanpur.cg / nic.in



क्रमांक/ 728 /जि0पं0/लेखा/MGNREGA/2017-18

नारायणपुर, दिनांक 06/05/2017

—:: निविदा सूचना ::—

“EXPRESSION OF INTEREST”

कार्यालय जिला पंचायत नारायणपुर में संचालित योजनाओं (MGNREGA) की वित्तीय वर्ष 2016-17 के सी.ए. अंकेक्षण कार्य हेतु कम से कम 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले एवं छ0ग0 महालेखाकार से पंजीकृत चार्टर्ड एकाउंटेंट/फर्मों से योजना के लिए ऑडिट कार्य एवं लेखा सुधार हेतु पृथक-पृथक मुहरबंद निविदा आमंत्रित किया जाता है। निविदा संबंधित नियम एवं शर्तें हेतु कार्यालय के सूचना पटल एवं वेबसाईट www.cgstate.gov.in & www.zpnarayanpur.gov.in पर अवलोकन कर सकते हैं। निविदा फार्म क्रय करने की अंतिम तिथि 24.05.2017 है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत नारायणपुर

नारायणपुर, दिनांक 06/05/2017

क्रमांक/ 729 /लेखा/जि0पं0/2017-18

प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर जिला नारायणपुर को सादर सूचनार्थ।
2. सहायक संचालक, जन संपर्क, जिला नारायणपुर को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
3. जिला सूचना अधिकारी, NIC नारायणपुर निविदा आमंत्रण को www.cgstate.gov.in & www.zpnarayanpur.gov.in पर अपलोड करने हेतु (निविदा PDF में)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत नारायणपुर

-: नियम व शर्तें :-


- कार्यालय में संचालित योजना (MGNREGA) (जिला/जनपद/ग्राम पंचायत/सर्व क्रियान्वयन एजेंसी का पृथक-पृथक वित्तीय वर्ष 2016-17 का लेखा सुधार एवं ऑडिट कार्य कराया जाना है।
- बस्तर संभाग के अंतर्गत औसत के आधार पर जिलावार न्यूनतम अंकेक्षण दर निम्नानुसार है:-
03 वर्षों के संभागवार औसत के आधार पर जिलावार न्यूनतम अंकेक्षण दर (राशि रुपये में)

क्र०	संभाग का नाम	संभाग अंतर्गत शामिल जिले	जिला कार्यालय अंकेक्षण दर	प्रति जनपद पंचायत कार्यालय अंकेक्षण दर	प्रति ग्राम पंचायत कार्यालय अंकेक्षण दर	प्रति क्रिया न्वयन एजेंसी अंकेक्षण दर
1	2	3	4	5	6	7
1	बस्तर	नारायणपुर	7600	4050	550	3050

- प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट को कम से कम 5 वर्षों के अंकेक्षण कार्य का अनुभव होना तथा महालेखाकार द्वारा **Empanelled** होना अनिवार्य है। स्थानीय चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म को प्राथमिकता दिया जाएगा। स्थानीय फर्म नहीं मिलने की दशा में बाहर से लिया जा सकता है।
- चार्टर्ड एकाउंटेंट को निविदा स्वीकृति उपरांत अनुबंध पत्र निष्पादित करना तथा 15 जून 2017 के पूर्व ऑडिट करना अनिवार्य होगा। अगर चयनित फर्म द्वारा समय पर ऑडिट नहीं किया जाता है तो प्रदाय किये जाने वाले राशि से प्रति सप्ताह 2 प्रतिशत की राशि कटौती की जायेगी।
- चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा अंकेक्षण रिपोर्ट शासन से प्राप्त निर्धारित प्रपत्रों में तैयार कर 04 प्रतियों में प्रस्तुत कराना होगा।
- निविदाकर्ता को प्रत्येक आवेदन के साथ 50 हजार रुपया एफ.डी.आर. के रूप में जमा कराना अनिवार्य होगा। निविदा अस्वीकृत होने पर अमानत राशि वापस कर दी जावेगी।
- निविदाकर्ता द्वारा **Technical Bid** तथा **Financial Bid** पृथक-पृथक निफाफे में प्रस्तुत में प्रस्तुत किया जावेगा। सबसे पहले **Technical Bid** (जिसमें अमानत राशि, महालेखाकार द्वारा **Empanelled** होने का प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र) खोला जावेगा। संपूर्ण दस्तावेज तथा नियम व शर्तें पूर्ण करने पर ही संबंधित फर्म का **Financial Bid** (मूल्य कथन) खोला जावेगा। नियम व शर्तें पूर्ण नहीं करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।
- निविदा कार्य आदेश स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। कोई भी न्यायालयीन वाद उत्पन्न होने पर उसका क्षेत्र पूर्ण जिला नारायणपुर में होगा।
- निविदा प्रपत्र वेबसाईट एवं कार्यालय के लेखाशाखा कक्ष क्र० 04 से अंतिम दिनांक तक प्राप्त किये जा सकते हैं। आवेदन कार्यालय के लेखाशाखा में 1000/- नगद राशि या चेक/डीडी से जमा करना होगा।
- निविदा किसी भी समय बिना कारण बताये निरस्त की जा सकती है।

निविदा का विवरण :-

निविदा बिक्री की अंतिम तिथि	24.05.2017	समय	दोपहर 12.00 बजे।
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	24.05.2017	समय	3.00 बजे अपराह्न।
निविदा खोलने की तिथि	24.05.2017	समय	4.00 बजे अपराह्न।


 मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 जिला पंचायत नारायणपुर

APPLICATION FORM

Details of Chartered Accountant firm for the Audit of Zila Panchayat.....(district name) for the financial year 2016-17:

S. No.	Particulars	Details
1	Name of the firm	
2	Address of the Registered Office	
3	Telephone no. and e-mail address	
4	ICAI Registration No. with Region Name and Code No.	
5	Date of constitution of the firm	
6	PAN No. of the firm	
7	Date since when the firm has a full time FCA	
8	Number of Full-Time Partners as on 1-4-2017 (Details to be provided in "Annex-A")	
9	Number of Part time Partners if any, as on 1-4-2017	
10	Number of Full Time Chartered Accountant Employees as on 1-4-2017	
11	Number of Branches in Chhattisgarh (Details to be provided in "Annex-B")	
12	Whether the firm is engaged in any Statutory/Internal/Concurrent Audit and other accounting work of any Government Departments (incl. Schemes/Programmes), PSU etc. (If yes, details may be given "Annex-C").	
13	Turnover of the Firm (last 3 years)	

(On Firm's Letter Head)

Annex – A

Details of Full Time Partners of the firm:

Sl. No.	Name of the Partner	Membership No.	Whether FCA / ACA	Date of joining the firm	Full /Part time Partner	Associated with (Branch Name)	Station & Region where residing at present

(Signature of Authorized Person with Seal of the Firm)

Place:

Date:

(On firm's Letter Head)

Annex – B

Particulars of Branches:

Sl. No.	Complete address (with PIN code) & Telephone No. (with STD code)	Name of the Partner in charge of the branch	Mobile no. of the Partner	Date of opening of the branch

(Signature of Authorized Person with Seal of the Firm)

Place:

Date:

(On firm's Letter Head)

Annex – C

Details of Statutory/Internal Audit Work /Any Other Accounting Work of Government Departments/Schemes in hand with the firm/undertaken in the last five year as on 31-3-2017:

Name of Client	Type of Audit (tick appropriate Box)		
	Statutory	Tax	Internal/Other
Central/State Government (Departments/Schemes):			
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

(Signature of Authorized Person with Seal of the Firm)

Place:

Date:

(On firm's Letter Head)

Annex – D

UNDERTAKING

I/We the following partner/s of M/s. _____, Chartered Accountant/s do hereby individually/jointly and severally verify and declare –

- i. that the particulars given are complete and correct and that if any of the statements made or the information so furnished in the application form is later found not correct or false or there has been suppression of material information, the firm would not only stand disqualified from allotment but would be liable for disciplinary action under the Chartered Accountants Act, 1949 and the regulations framed there under;
- ii. that the firm, or partners has not been debarred or cautioned by ICAI during the last five years, (if debarred, give details);
- iii. that individually we are not engaged in practice otherwise or in any other activity which would be deemed to be in practice under section 2 (2) of the Chartered Accountant Act, 1949;
- iv. that the constitution of the firm as on 1st April of the relevant year shown is same as that in the constitution certificate issued by the ICAI.

S. No.	Name of the Partner	Membership Registration No.	PAN No.	Signature of Partner

(Signature of Authorized Person with Seal of the Firm)

Place:

Date: